डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 18 ● भोपाल ● 16-28 फरवरी, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

किसानों को उपज का मूल्य दिलाने मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता योजना लागू होगी

गेहूँ और धान पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मिलेगी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाने के लिये मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता योजना लागू की जायेगी। इस योजना में गेहूँ और धान पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। भावांतर भुगतान योजना जारी रखी जायेगी। हाल ही में हुई ओला वृष्टि से प्रभावित फसलों के नुकसान की भरपाई राहत राशि और फसल बीमा को मिलाकर की जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिये मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इस योजनांतर्गत वर्ष 2017 में जिस समर्थन मूल्य पर गेहूँ और धान खरीदा गया था, उसमें 200 रूपये प्रति क्विंटल जोड़कर किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा गेहूँ का समर्थन मूल्य 1735 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जिसे इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि जोड़कर 2000 रूपये प्रति क्विंटल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगले वर्ष धान में भी 200 रूपये प्रति क्विंटल बोनस राशि देंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रबी 2016-17 में समर्थन मूल्य पर 67.25 लाख मैट्रिक टन गेहूँ का ई-उपार्जन किया गया। इसमें 7.38 लाख किसानों को 1340 करोड़ रूपये का भुगतान होगा। इसी तरह खरीफ 2017 में समर्थन मूल्य पर 16.59 लाख मैट्रिक टन धान ई-उपार्जन किया गया, जिसका 2.83 लाख किसानों को 330 करोड़ रूपये का भुगतान होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यहाँ जम्बूरी मैदान में भावान्तर भुगतान योजना के प्रमाण-पत्र वितरण और कृषि महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किसान महा-सम्मेलन में यह घोषणाएँ की। उन्होंने सम्मेलन में भावांतर राशि के प्रमाण-पत्र वितरित किये तथा 3 लाख 98 हजार किसानों को 620 करोड़ की भावांतर राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस महा-सम्मेलन में किसानों की सहमति से किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की.

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसान महा-सम्मेलन में की किसान हितैषी घोषणाएँ

- रबी 2017-18 में चना, मसूर, सरसों एवं प्याज को भावान्तर भुगतान योजना में शामिल किया जायेगा।
- रबी 2017-18 में चना, मसूर, एवं सरसों को लायसेन्सी गोदाम में भण्डारण करने पर 4 (चार) माह तक के भण्डारण शुल्क का भुगतान सरकार करेगी।
- किसानों के हित में वर्ष 2018-19 में प्याज की फसल के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू की जायेगी।
- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्यों के कालातीत बकाया ऋणों की समाधान योजना लागू होगी। फिलहाल 4 हजार 523 समितियों में यह व्यवस्था होगी।
- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2017 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की जाएगी।
- सहकारी क्षेत्र के कृषक सदस्यों के किसान क्रेडिट कार्ड का रूपे कार्ड में परिवर्तन किया जाएगा।
- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में माइक्रो ए.टी.एम. मशीन स्थापित की जाएगी।
- किसी कारण डिफाल्टर हुए किसानों को फिर से शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्जा मिलेगा। बकाया ब्याज सरकार देगी। मूलधन को दो किश्त में किसान जमा करेंगे। एक किश्त चुकाने के तत्काल बाद उन्हें ऋण मिल सकेगा। सरकार किसानों के हित में 2600 करोड़ रुपये से ज्यादा का ब्याज भरेगी।
- प्रति विकासखण्ड एक हजार कस्टम प्रोसेसिंग एवं सर्विस सेन्टर खोले जाएंगे। किसानों को ही इनका संचालन करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
- 150 कृषि उपज मण्डियों के प्रांगणों में प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर की मण्डियों की दरों को प्राईस ट्रेकर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
- 50 कृषि उपज मण्डियों में ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग प्लांट लगाए जाएंगे।
- 25 कृषि उपज मण्डियों में कलर सोर्ट्रेक्स प्लांट लगाए जाएंगे।
- पशुपालकों को पशुपालन से संबंधित गतिविधियों के लिये पशुपालन क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
- आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना से 1500 के स्थान पर प्रतिवर्ष 15 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।
- नई व्यवस्था में संशोधित खसरा नकल-नामांतरण एक महीने में कर दिया जायेगा।
- अब आवेदन देने के दिन ही सीमांकन की तारीख दे दी जायेगी।
- बँटाईदार किसान अब पाँच साल तक जमीन दे सकेंगे। बँटाईदार किसानों को भी सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
- यदि गाँव के लोग ट्रांसफार्मर स्वयं परिवहन व्यवस्था कर लायेंगे, तो किसानों को ट्रांसफार्मर का किराया नहीं लगेगा। ट्रांसफार्मर कनेक्शन पर ब्याज नहीं लगेगा।

सहकारी समितियों से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश

सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा नवाचार कार्यों की समीक्षा

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखकर आर्थिक गतिविधियाँ चिन्हित की जायें। इन गतिविधियों को संचालित करने वाली सहकारी समितियों का गठन कर अधिक से अधिक लोगों को समितियों के माध्यम से रोजगार से जोड़ा जाये। सहकारिता से अंत्योदय योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाये। राज्य मंत्री श्री सारंग मंत्रालय में विभाग के नवाचार प्रकोष्ठ के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा किये गये कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी.गुप्ता, एम.डी. अपेक्स बैंक श्री आर.के. शर्मा, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, प्रभारी नवाचार प्रकोष्ठ श्री पी.के. द्विवेदी और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रशिक्षण

सहकारिता में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के विक्रेताओं हेतु तीन–तीन दिवसीय प्रशिक्षण 4 सितम्बर 2017 से प्रारंभ किये गये हैं। सहकारी क्षेत्र में देश में यह प्रथम प्रयास है। यह प्रशिक्षण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, जबलुपर में संचालित हो रहे हैं। प्रशिक्षणों की चित्रमय झलकियाँ।

सत्र क्र. 20 भोपाल

सत्र क्र. 21 भोपाल

सत्र क्र. 19 इंदौर

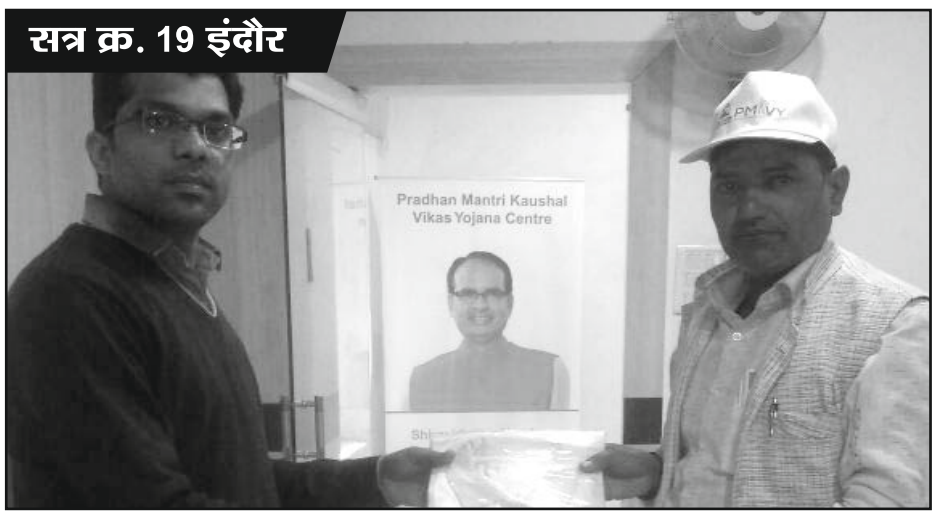

सत्र क्र. 20 इंदौर

सत्र क्र. 21 इंदौर

सत्र क्र. 16 जबलपुर

सत्र क्र. 17 जबलपुर

सत्र क्र. 18 जबलपुर

कुशल सहकारिता : सफल सहकारिता

रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोगपर कार्यशालाएं आयोजित

बुरहानपुर । सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, म.प्र. शासन के निर्देशानुसार म.प्र. राज्य सहकारी संघ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी संघ खण्डवा के सहयोग से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कृषक पदाधिकारियों के लिये कृषि में उर्वरक के महत्व एवं प्रयोग की तकनीकी पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सभकक्ष बुरहानरपुर में एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोज तारवाला, उपाध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ने कहा कि आज कृषि को नई तकनीक के माध्यम से कार्य करना चाहिये तथा किसानों को वैज्ञानिकों की सलाह से कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक केन्द्र के कार्यक्रम समन्वयक श्री भूपेन्द्र सिंह ने खाद और उर्वरक पौधे में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण एवं प्रबंधन पर विस्तार से जानकारी दी। श्री शिरीष पुरोहित कार्यक्रम समन्वयक ने मिट्टी परीक्षण क्यों, कब एवं कैसे किया जावे विषय पर समझाईश दी। श्री जी.पी. मांझी ने खेती फायदे का धन्धा कैसे हो विषय पर चर्चा की। सहकारिता विभाग के जुनागढ़े जी ने रासायनिक उर्वरकों तथा कार्बनिक खादों का समन्वित प्रयोग पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के संचालक रमेश महाजन, लोनी की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री मेहताबसिंह भदोरिया द्वारा किया गया तथा आभार प्रदर्शन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक यशवंत जोशी द्वारा किया गया।

बड़वानी– आयुक्त एवं पंजीयक सहकारिता म. प्र. के निर्देशानुसार म. प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा बड़वानी तथा जिला सहकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 8 फरवरी 2018 को **रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग** विषय पर कार्यशाला का आयोजन बैंक सभागृह में किया गया। इस कार्यक्रम में बड़वानी जिले के कृषको एवं समिति प्रबंधको ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता व कृषि वैज्ञानिक श्री बड़ोदिया, शाखा प्रबंधक श्री पंडीत गवले, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के व्याख्याताद्वय श्री गणेश मांझी व श्री शिरीष पुरोहित ने विषय पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में बैंक के भू. पू. उपाध्यक्ष व संचालक श्री राजेन्द्र भावसार व प्रभारी सहायक आयुक्त सहकारिता श्री प्रदीप रावत उपस्थित रहें। कार्यक्रम का संचालन श्री राजेन्द्रसिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा किया गया तथा आभार जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री ओंकार यादव द्वारा व्यक्त किया गया।

खरगोन। म. प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन के संयुक्त तत्वाधान में **रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग** विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ डा. खरे एवं डा. एस.के. जैन, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक तथा इफकों के क्षेत्रीय प्रबंधक चौरसिया ने मिट्टी परीक्षण तथा उर्वरकों

के संतुलित उपयोग पर किसानों से चर्चा करते हुए उपयोगी जानकारी एवं सलाह दी। राज्य सहकारी संघ के व्याख्याता श्री गणेश मांझी तथा श्री शिरीष पुरोहित ने भी राज्य संघ की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। पुरोहित ने बताया राज्य संघ द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में उर्वरकों का संतुलित उपायोग को लेकर किसानों को कार्यशाला आयोजित करते हुए उन्हें रासायनिक खाद के उपयोग को लेकर जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में कार्यशाला का आयोजन किया जाकर किसानों को बेहतर जानकारी दी गई। जिले की प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला को बैंक के अध्यक्ष रणजीतसिंह डंडीर, प्रबंध संचालक एम.के. बोर्चे, उप संचालक कृषि एम.एल. चौहान, जिला विपणन अधिकारी हीरेन्द्र रघुवंशी, सहकारिता विभाग के अंकेक्षण अधिकारी के.आर. अवासे ने भी सम्बोधित किया। संचालन बैंक प्रबंधक (योजना एवं विकास) अनिल कानूनगो ने किया।

आदिवासी मछुआरों को कैग तकनीक से मिलेगा भरपूर मछली उत्पादन

भोपाल। सिवनी जिले में तीन आदिवासी मछुआ सहकारी समितियों बिजना छपारा, डूंगरिया लखनादौन और गुर्दा नाला को उनके उपलब्ध तालाब के आधार पर चयनित कर कैग मत्स्य पालन योजना से लाभान्वित किया गया है। आदिवासी विकास परियोजना योजनान्तर्गत मत्स्य विभाग द्वारा प्रति सहकारी समिति 18 लाख रूपए से कैग को तालाबों में स्थापित किया गया है। इसमें विशिष्ट प्रजाति की पंगेसियस मछलियों का पालन किया जा रहा है इस नवीन तकनीक से मछुआरों को आधे समय अर्थात् 5 माह की अवधि में ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। इससे इन आदिवासी सहकारी समितियों के सदस्यों की आय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी।

डूंगरिया आदिवासी मछुआ समिति के अध्यक्ष रमेश धुर्वे बताते हैं कि कैग प्रणाली से मत्स्य पालन की लागत बहुत कम हो गयी है। इस नवीन तकनीक से समिति के सदस्यों को कैग स्थापना उपरांत सिर्फ आहार का ही ध्यान रखना पड़ता है। कैग प्रणाली से अब मौसम एवं बीमारी का प्रकोप बहुत कम हो गया है। इसके साथ ही मत्स्य विभाग की सलाह से कम ऑक्सीजन में भी जीवित रह सकने वाली विशेष प्रकार की मत्स्य प्रजाति **पंगेसियस** के पालन से उन्हें अन्य मत्स्य प्रजाति से अधिक उत्पादन मिलने का अनुमान है। इस समिति के सभी सदस्य छोटे कृषक हैं और किसानी के अलावा जीवनयापन के लिए मत्स्य पालन कर अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत तीन दिवसीय सत्र का आयोजन

जबलपुर। इन दिनों मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल द्वारा एन.एस.डी.सी. नई दिल्ली के सहयोग से राज्य स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत क्रमशः तीन दिवसीय सत्रों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी क्रम में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन की दिशा में RPL (रिटेल) प्रशिक्षण के अन्तर्गत जनवरी माह का पांचवा सत्र सम्पन्न किया गया। केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने प्रशिक्षण के दौरान ''कुशल सहकारिता, सफल सहकारिता'' के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। केन्द्र के व्याख्याता श्री व्ही.के. बर्वे ने सहकारी समितियों के लिये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए आर.पी.एल. की विस्तृत जानकारी प्रदान की। व्याख्याता श्री बर्वे ने केडिट सेवा, स्टोर, ग्राहक सेवा, प्रोडक्ट प्रदर्शन, विशेषज्ञ सेवा, संस्था के प्रति सकारात्मक छवि, ग्राहक संबंध में सेवा, टीम का प्रभावीकरण, संगठन को सशक्त बनाने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया। एन.एस.डी.सी. के परीक्षक श्री नितिन वर्मा द्वारा सत्र के पश्चात् परीक्षा ली गई।

प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन के 24वें सत्र का संचालन व्याख्याता श्री व्ही.के.बर्वे द्वारा किया गया। प्रशिक्षण सत्र के आयोजन में प्रशिक्षक श्री रीतेश कुमार, केन्द के लेखापाल श्री एन. पी. दुबे कार्यालय सहायक श्री चेतन गुप्ता का सहयोग सराहनीय रहा।

उल्लेखनीय है कि इस सत्र में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सिंगरोली से संबंधित जिले की लेम्प्स/पेक्स सहकारी समितियों के 22 विक्रेताओं ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए.
स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039
फोन.–0755 2725518, 2726160 फेक्स–0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

मत्स्याखेट पारिश्रमिक भुगतान समय पर नहीं करने पर दण्ड ब्याज लगेगा

मत्स्य-पालन मंत्री श्री आर्य की अध्यक्षता में हुई मत्स्य महासंघ की बैठक

भोपाल। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में मत्स्य महासंघ की काम-काज समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि अनुबंधग्रहिता द्वारा मत्स्याखेट पारिश्रमिक राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो उस दशा में सप्ताह के अंत से देय राशि पर 3 प्रतिशत मासिक की दर से दण्ड ब्याज की वसूली महासंघ द्वारा की जायेगी। महासंघ द्वारा इस राशि का उपयोग मछुओं के कल्याण के लिये किया जायेगा।

बैठक में तय किया गया कि निविदा प्रक्रिया में लेटर ऑफ ऑफर जारी करने के बाद यदि संबंधित अनुबंधग्रहिता अनुबंध निष्पादन के लिये उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे निविदाकारों को एक वर्ष की अवधि के लिये काली-सूची में डाला जायेगा। इसके कारण वे आगामी एक वर्ष की अवधि में महासंघ के किसी भी जलाशय की निविदा कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि जनश्री बीमा योजना के स्थान पर अब प्रधानमंत्री जीवन %योति बीमा योजना का लाभ दिया जायेगा। इसमें सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये तथा दुर्घटना से मृत्यु पर मछुआ परिवार को दो लाख की अतिरिक्त बीमा राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

बैठक में मत्स्य महासंघ के जलाशयों से आखेटित मत्स्य विक्रय के लिये निष्पादित अनुबंध एवं अन्य अनुबंधों से संबंधित आर्बिट्रेशन प्रकरणों में विवाद की स्थिति में म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-64 के प्रावधान अनुसार आर्बिट्रेशन की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मत्स्य महासंघ की प्रचलित मत्स्य बीज संचय नीति में परिवर्तन, नील-क्रांति योजना के तहत आवंटित राशि से केजो का निर्माण, नौका क्रय एवं बर्फगार निर्माण, हलाली जलाशय में चीतल प्रजाति के मत्स्य बीज के संचयन की प्रगति, मत्स्य महासंघ कर्मियों को 3 प्रतिशत महँगाई भत्ते की स्वीकृति, प्रोत्साहन राशि, महासंघ कर्मियों को म.प्र. वेतन पुनरीक्षण लागू तथा महिला कर्मियों को प्रसूति अवकाश नब्बे दिवस के स्थान पर 180 दिवस करने पर भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में अपर प्रमुख सचिव श्री विनोद सेमवाल, मत्स्य महासंघ के संचालक श्री महेन्द्र धाकड़ एवं संचालक श्री ओ.पी.सक्सेना उपस्थित थे।

राज्य-स्तरीय मछुआ कार्यशाला

मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने राज्य-स्तरीय मछुआ कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि मछुआरों के उत्थान के लिये अप्रैल माह में मछुआ महा-पंचायत का आयोजन किया जायेगा।

कार्यशाला का आयोजन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। मत्स्य-पालन मंत्री श्री आर्य ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से मछुआरों के हित संरक्षण और चलित योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श कर सही निर्णय लिया जायेगा। इस अवसर पर मंत्री श्री आर्य ने मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किया तथा संचालनालय को ISO अवार्ड प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये। कार्यशाला में म.प्र. मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. कैलाश विनय, उपाध्यक्ष श्री सीताराम बाथम और श्री राजू बाथम तथा बड़ी संख्या में सभी जिलों के मछुआरा प्रतिनिधि उपस्थित थे।

श्री राठौर का सेवानिवृत्ति पर सम्मान

इंदौर। दिनांक 30.01.2018 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य के.एल. राठौर की 60 वर्ष की उम्र होने पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं व गणमान्य जन प्रतिनिधियों व सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा सम्मान किया गया।

सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि उपायुक्त सहकारिता के. पाटनकर थे। विशेष आतिथ्य सहकारी क्षेत्र के नेता रामबाबू अग्रवाल व चिंतक तपन भट्टाचार्य, नई दुनिया के स्तम्भकार नीलमेघ चतुर्वेदी, शिक्षाविद एच.सी. शर्मा ने शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। सेवानिवृत्त प्राचार्य के.एल. राठौर की 33 वर्ष की सेवा ईमानदारी निष्ठा, कर्तव्य परायणता के साथ पूर्ण हुई। मुख्य अतिथि पाटनकर ने इस अवसर पर कहा कि सबको साथ लेकर चलते है। वे ही कर्मचारी सेवा पूर्ण ईमानदारी से सेवा काल पूरा करते व तपन भट्टाचार्य ने कहा कि श्री राठौर की सेवा 33 साल अपने आप में बेमिसाल रहे। इनका जीवन कार्यशैली सहकारी आंदोलन व जिंदगी के लिए अनुकरणीय है। शिक्षाविद एच.सी. शर्मा, जयपुर से आए पूर्व जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक एम.एस. पुरोहित ने भी विचार व्यक्त किए। प्रभारी प्राचार्य श्री निरंजन कुमार कसारा ने कार्यक्रम का संचालन किया व आभार व्याख्याता दिलीप मरमट ने व्यक्त किया। केन्द्र की ओर से मुख्य अतिथि पाटनकर प्रभारी प्राचार्य निरंजन कुमार कसारा, व्याख्याता दिलीप मरमट, कम्प्यूटर प्रशिक्षक शिरीष पुरोहित ने व पूर्व प्राचार्य कैलाश जैन, ओम गुरूदेव साख सहकारी संस्था के नरेन्द्र गुप्ता, एस.एस. चौहान, मारू प्रजापाति साख संस्था के अध्यक्ष आर.एन. लिम्बोदिया, राजलक्ष्मी महिला साख संस्था की अध्यक्ष रेखा गिले, जिला सहकारी संघ के प्रभारी अधिकारी एवं उपायुक्त सहकारिता के पाटनकर, ओआईसी डीएस चौहान व प्रबंधक दौलतसिंह बैरागी, झाबुआ के एम.डी. राठौर, जिला सहकारी संघ उज्जैन के प्रबंधक जगदीश बैरागी, सहकारी संघ धार के प्रबंधक शुभेन्द्र पंवार, श्री एल.एन. चावडा , श्री टी.एन. शर्मा, श्री राजेंन्द्र राठौर, विजय चन्द्रवाल आदि महानुभावों ने श्री राठौर का सम्मान किया।

भावांतर भुगतान योजना में 10.58 लाख किसानों को 1450 करोड़ का भुगतान

भोपाल। मध्यप्रदेश में खरीफ-2017 में भावांतर भुगतान योजना में किसानों को उनकी उपज का मण्डियों में हुए उतार-चढ़ाव के अंतर का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना में 10 लाख 58 हजार किसानों को 1449 करोड़ 91 लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा।

किसानों को जनवरी के मक्का, फरवरी, मार्च और अप्रैल के तुअर का भी भावांतर भुगतान योजना में लाभ दिया जायेगा। अक्टूबर-2017 में मण्डियों में फसल बेचने वाले एक लाख 36 हजार किसानों को भावांतर भुगतान योजना में 146 करोड़ 73 लाख रुपये का भुगतान किया गया। नवम्बर माह में 5 लाख 26 हजार किसानों को 773 करोड़ 32 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। दिसम्बर माह में तीन लाख 97 हजार किसानों द्वारा बेची गई कृषि उपज का भुगतान 620 करोड़ 75 लाख रुपये किसानों के बैंक खातों में 12 फरवरी, 2018 को किया जायेगा।

सर्वाधिक क्षेत्र में जैविक खेती करने वाला राज्य बना मध्यप्रदेश : श्री सारंग

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक क्षेत्र में जैविक खेती करने वाला राज्य है। प्रदेश के एक लाख 48 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है। श्री सारंग भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में **खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु जैविक अपशिष्ट रिसाईक्लिंग** विषय पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का अग्रणी कृषि प्रदेश है। प्रदेश में कृषि विकास की दर 9.7 प्रतिशत का आकड़ा पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि खेती से उत्पन्न फसल के अपशिष्टों के सही उपयोग का उपयुक्त विकल्प जैविक खेती है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उरर्वकों के बढ़ते बाजार मूल्य के चलते जैविक खेती से ही खेती की लागत कम करने के साथ मृदा, जल और पर्यावरण का सुरक्षित संवर्धन संभव है। श्री सारंग ने कहा कृषि से निकलने वाले अपशिष्टों का आसान तकनीक के माध्यम से कम्पोस्ट, जैव ईधन और बायो गैस उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने वैज्ञानिकों एवं किसानों के बीच वैचारिक चर्चाओं की जरूरत बताई।

सेमिनार में नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के पूर्व उप-कुलपति डॉ. एस.एस. खन्ना, राज माता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के डॉ.ए.के. सिंह, ए.डी.जी. आई.सी.ए.आर. डॉ. एस.के. चौधरी, आई.आई.एस.एस. भोपाल के निर्देशक डॉ.अशोक के. पात्रा, वैज्ञानिक और किसान मित्र मौजूद थे।

पटवारियों को मिलेंगे स्मार्ट फोन : मुख्य सचिव श्री सिंह

मुख्य सचिव ने सागर में संभाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली

भोपाल। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने सागर में सागर संभाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि लंबित राजस्व प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें, ऐसे मामलों का जल्द से जल्द निराकरण करायें। राजस्व अधिकारी पूरी गंभीरता और समर्पण भावना से अपने दायित्वों को समय-सीमा में ही पूरा करें। कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित स्थिति में न रहे। सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस (रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल में दर्ज किये जायें, ताकि हर मामले की बेहतर ढंग से मॉनीटरिंग की जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डेय, सचिव राजस्व श्री हरिरंजन राव, प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम. सेलवेन्द्रन और संभाग के आयुक्त तथा जिलों के कलेक्टर और राजस्व अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि राजस्व अधिकारी सदैव सतर्क एवं सजग रहकर अपने पदीय कार्यों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें। दो साल या इससे अधिक अवधि के लंबित

प्रकरणों को अभियान चलाकर इनका अंतिम निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने कार्यालयों एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर लें। सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में सुधार कार्य करवाकर कस्टमर फ्रेण्डली तरीके से आवेदकों को सेवा प्रदाय करें।

श्री बी.पी. सिंह ने कहा कि राजस्व विभाग को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अब पटवारियों को स्मार्ट फोन दिये जायेंगे। इससे वे अपने फोन में एप डाउनलोड कर मोबाइल गिरदावरी करेंगे। नये पटवारियों को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा, ताकि वे फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। श्री सिंह ने कहा कि कोई भी नया राजस्व प्रकरण कार्यालय या न्यायालय में आने पर उसे तत्काल आरसीएमएस (रेवेन्यु कोर्ट मॉनीटरिंग सिस्टम) पोर्टल में दर्ज करवायें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को हर गाँव में बी-1 पढ़कर सुनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण, बँटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों का शीघ्रता से शत-प्रतिशत निराकरण किया जाये। डायवर्जन, नजूल और अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत वसूली की जाये। शासकीय राजस्व बढ़ाने के लिये हरसंभव प्रयास किये जायें। मुख्य सचिव ने पटवारी बस्तों की जाँच करने तथा राजस्व निरीक्षकों के कार्यों की भी समीक्षा करने को कहा, ताकि लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आ सके। मुख्य सचिव ने कहा कि सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण ईटीएस मशीनों से किया जाये।

प्रदेश में 5.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है जैविक खेती

भोपाल। मध्यप्रदेश में हाल के कुछ वर्षों में जैविक खेती के मामले में तेजी से काम हुआ है। कृषि क्षेत्र की संस्था एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (एपीडा) के अनुसार मध्यप्रदेश में वर्तमान में करीब 5 लाख 75 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। प्रदेश में 40 प्रतिशत से अधिक जैविक कृषि उत्पाद का उत्पादन हो रहा है, जो देश के कुल जैविक कृषि उत्पाद का करीब 40 प्रतिशत है। प्रदेश में 313 विकासखण्ड के 1800 से अधिक ग्रामों में बड़ी संख्या में जैविक खेती को अपनाया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश में वर्ष 2011 में जैविक कृषि नीति लागू की गई। इसके बाद से जैविक खेती में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश में व्यावसायिक संगठन एसोचैम ने सर्वे किया था। सर्वे में यह बताया गया था कि प्रदेश मे अगले 5 वर्षों में 600 करोड़ रुपये के जैविक उत्पाद के निर्यात की संभावना है।

भोपाल में किसान महासम्मेलन

संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई ओला वृष्टि से किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। किसान चिंता नहीं करें, इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। राज्य सरकार ने पहले भी किसानों के हित में अनेक फैसलें किये हैं। कृषि ऋण पर ब्याज 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत किया गया है। किसानों के लिये यह ब्याज राज्य सरकार भरती है। बिजली का फ्लेट बिल 7 हजार रुपये प्रति हार्स पावर के रेट पर दिया जाता है। इसके लिये प्रति हार्सपावर 31 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक 5 एकड़ पर सिंचाई का खर्च 10 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसी तरह, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण के लिये प्रति किसान परिवार 3 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाता है। किसानों द्वारा खाद के अग्रिम भंडारण पर ब्याज राज्य सरकार भरती है। फसल बीमा योजना में प्रत्येक पाँच एकड़ पर 9 हजार रुपये प्रीमियम राज्य सरकार दे रही है। भावांतर भुगतान योजना और समर्थन मूल्य पर खरीदी में प्रत्येक पाँच एकड़ पर 20 हजार रुपये राज्य द्वारा दिये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई क्षमता साढ़े सात लाख हेक्टर से बढ़ाकर चालीस लाख हेक्टेयर कर दी गयी है। अगले पांच वर्ष में सिंचाई सुविधा बढ़ाने पर एक लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। होशंगाबाद संभाग में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये सिंचाई पर खर्चा होगा। अगले पाँच सालों में बुंदेलखंड में 4 लाख 50 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई होगी। चंबल में तीन लाख दस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई होगी। इस पर पाँच हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। मालवा क्षेत्र में नर्मदा के पानी से 11 लाख 5 हजार हेक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचाई होगी। रेवांचल क्षेत्र में 6 लाख 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई होगी। महाकौशल क्षेत्र में 4 लाख 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिचाई होगी। भोपाल संभाग में 6 लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।

भण्डारण का 4 माह का खर्च सरकार देगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले वर्ष प्याज की कीमतें गिरने पर राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपये की प्याज किसानों से खरीदी। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये लागू की गई भावांतर भुगतान योजना अब अन्य प्रदेशों में लागू की जा रही है। अब इस योजना में किसान फसल को तुरंत नहीं बेचना चाहे और अधिकृत भंडार गृहों में रखना चाहें, तो 4 माह तक भंडारण का खर्च राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इसी तरह चना, मसूर और सरसों के लिये भी भावांतर भुगतान योजना लागू की जायेगी। योजना में अगर किसान अपनी फसल भंडारण गृह में रखता है, तो उसकी आवश्यकता के लिये फसल के मूल्य का 25 प्रतिशत उसे सहकारी बैंक द्वारा दिया जायेगा, जो वह फसल बिकने पर लौटाएगा। इस राशि पर लगने वाला ब्याज राज्य सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में किसानों के बेटे-बेटियों को 25 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण की गारंटी तथा 15 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार देगी। साथ ही 7 साल तक 5 प्रतिशत ब्याज भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार किसानों की सरकार है और किसानों के कल्याण के लिये नया इतिहास रच रही है।

कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि किसानों के लिये भावांतर भुगतान योजना बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का सबसे पहला राज्य है। इस योजना में 8 फसलों के लिये किसानों के खातों में 1512 करोड़ रुपये पहुँचाये जा रहे हैं। प्रदेश में 6 ट्रेक्टर प्रशिक्षण संस्थान शुरू किये जा रहे हैं। साथ ही 90 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिये जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतीक स्वरूप किसानों को भावांतर भुगतान के प्रमाण-पत्र तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के हितग्राही को प्रमाण-पत्र दिये गये।

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक, किसान आयोग के अध्यक्ष श्री ईश्वर लाल पाटीदार, किसान संघ के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन कृषि राज्य मंत्री श्री बालकृष्ण पाटीदार ने किया।

सरकार किसानों की सुनती भी है और किसानों के लिए करती भी है

किसान सम्मेलन में आये किसानों की मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर प्रतिक्रिया

भोपाल। सरकार किसानों की सुनती भी है और किसानों की भलाई के लिये करती भी है। जम्बूरी मैदान में किसान सम्मेलन में भाग लेने आये किसानों ने यह बात कही। सीहोर जिले के शिकारपुर के किसान तिलकराम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों के लिए की गई घोषणाओं से खुश हैं। उनका कहना है कि गेहूँ के समर्थन मूल्य पर 200 रुपये की प्रोत्साहन राशि से उन्हें लाभ मिलेगा।

खिलचीपुर तहसील जिला राजगढ़ के किसान श्री रामप्रसाद और श्री भंवरलाल किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा की गई घोषणाओं को किसानों की भलाई करने वाली सरकार के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि खेती में लागत बढ़ी है पर सरकार ने गेहूँ समर्थन मूल्य पर प्रोत्साहन राशि देकर बड़ी राहत दी है।

शाजापुर जिला तहसील कालापीपल के गाड़ियाखेड़ी ग्राम के कृषक श्री भंवरलाल किसान सम्मेलन की घोषणाओं से खुश हुए। उन्होंने कहा कि इस साल प्रति क्विंटल गेहूँ के समर्थन मूल्य की घोषणा पर 200 रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों के लिये बहुत बड़ी घोषणा है। श्री भंवरलाल कहते हैं कि वह गेहूँ की फसल सबसे ज्यादा क्षेत्र में लेते हैं।

काकड़िया पंचायत के ग्राम रसूलिया जिला भोपाल निवासी किसान उमराव सिंह, भानपुरा ग्राम जिला भोपाल के किसान श्री काले खाँ भी कहते हैं कि सरकार न केवल किसानों की सुनती है बल्कि किसानों की भलाई के लिये काम भी करती भी है।

ग्राम मेंगरा नवीन के कृषक दयाल सिंह गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषकों के दर्द को समझकर इसे दूर करने की घोषणाएँ की हैं। उन्होंने कहा कि भावांतर भुगतान योजना सही मायने में तभी सफल हो सकेगी जब किसानों को उनके आदान का समय से भुगतान मिले। उन्होंने आदान भंडारण से एक माह के अंतराल का ब्याज सरकार द्वारा दिए जाने की सराहना की। ग्राम वागसी के श्री नारायण सिंह गौर ने कहा कि भगवान देता है तब छप्पर फाड़कर देता है। यह बात जम्बूरी मैदान पर किसान सम्मेलन में सही साबित हुई जिसमें किसानों की हितैषी, किसानों के लिये और किसानों के समर्थन से बनाई जा रही मुख्यमंत्री उत्पादकता योजना, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, एक हजार कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषक युवा उद्यमी योजना की घोषणा से साबित हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हजारों परिवारों की दुआएँ मिलेंगी।

योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर परिणाम की व्यवस्था बनायें : श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिये सभी जिला कलेक्टर निरंतर पर प्रयास करें। राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों में बेहतर परिणाम देने की व्यवस्था बनायें। जन-सुनवाई के माध्यम से जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में कलेक्टरों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मार्च माह से जिलों में किये गये कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी। नर्मदा सेवा मिशन के तहत लगाये गये पेड़ों को गर्मियों में सुरक्षित रखें। लगाये गये पेड़ों का भौतिक सत्यापन करायें। आगामी दो जुलाई को पुनः वृहद वृक्षारोपण किया जायेगा। स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं में बैंकों से समन्वय स्थापित कर प्रकरण स्वीकृत करायें और ऋण वितरण करायें। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के तहत पर्याप्त कार्य चलें, यह सुनिश्चित करें। पेयजल पाइपलाइन के लिये यदि कोई एजेन्सी सड़क खोदती है, तो उसी एजेन्सी से पहले जैसी ही सड़क बनवायें। निर्माणाधीन प्याज के भंडारण गोदामों का कार्य आगामी अप्रैल माह तक पूर्ण करायें। अब किसानों द्वारा भावांतर भुगतान योजना में अनाज का भंडारण करने पर राज्य सरकार भंडारण करने वाली संस्थाओं को सीधे भुगतान करेगी। सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति के हितग्राहियों को पोषण आहार के लिये एक हजार रूपये प्रति माह का नियमित भुगतान हो। पंचायतों के माध्यम से नई रेत खदानों की प्रक्रिया तेजी से पूरी करायें। छोटे कर्मचारियों को समय से वेतन मिले, यह सुनिश्चित करें। गर्मियों में पेयजल आपूर्ति के लिये अभी से व्यवस्थित योजना बनायें। उन्होंने कहा कि रबी के उपार्जन का पंजीयन समय से शुरू करें। पेंशन प्रकरण के निराकरण के लिये सभी जिलों में गंभीरता से प्रयास किये जायें।

कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान ने सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरणों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और अधिकारियों-कर्मचारियों की सराहना की। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले होशंगाबाद, अलीराजपुर, बुरहानपुर, शाजापुर और बालाघाट हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाली जिला पंचायतें होशंगाबाद, अलीराजपुर, बुरहानपुर, शाजापुर और खरगौन तथा नगर निगम सिंगरौली, रतलाम, भोपाल, कटनी और देवास हैं। इसी तरह सी एम हेल्प लाइन के प्रकरणों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों में प्रभारी सहायक यंत्री नगर निगम सागर श्री अरविंद पटैरिया, आरटीओ जबलपुर श्री जितेनद्र सिंह रघुवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैतूल श्री दानिश अहमद खान, सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नरसिंहपुर श्री एस.एल.विश्वकर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी सिंगरौली श्री विनय कुमार सिंह, नगर निगम सिंगरौली के सहायक यंत्री श्री जे.पी.त्रिपाठी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी टीकमगढ़ श्री संदीप पांडे, सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शहडोल श्री वी.एन.पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहकारिता राजगढ़ श्री विशेष श्रीवास्तव और कार्यपालन यंत्री जल संसाधन हरदा श्री अशोक कुमार जाटव शामिल है। बताया गया कि सी एम हेल्पलाइन में चैट-बोट की नवीन सुविधा शुरू की जा रही है।

11 आवेदकों की समस्याओं का हुआ समाधान

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सुशासन की प्रतिबद्धता और जनसमस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान के प्रयास तेजी से रंग ला रहे हैं। समाधान ऑन लाइन में जनसमस्याओं के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही उन पर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किये जा रहे हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के ग्राम अनुजगढ़ निवासी श्री हरीप्रसाद की पट्टे की भूमि कम्प्यूटर में दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें खसरे की प्रति नहीं मिल पा रही थी।

किसानों को नि:शुल्क बाँटे गये 90 लाख स्वाइल हेल्थ-कार्ड

मध्यप्रदेश में बनाई जा रही 265 नई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला

भोपाल। मध्यप्रदेश में स्वाइल हेल्थ-कार्ड योजना में अब तक 90 लाख से अधिक स्वाइल हेल्थ-कार्ड किसानों को निःशुल्क बाँटे जा चुके हैं। इस योजना में किसानों के खेतों से ग्रिड आधारित मृदा नमूने एकत्र कर 12 मापदण्डों के परीक्षण परिणाम के आधार पर प्रति दो वर्ष के अंतर पर किसानों को नि:शुल्क स्वाइल हेल्थ-कार्ड वितरित किये जा रहे हैं।

स्वाइल हेल्थ-कार्ड योजना में एकत्रित मृदा नमूनों के विश्लेषण परिणाम के आधार पर किसानों को फसल अनुसार मुख्य पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों और उर्वरकों की मात्रा की सलाह दी जा रही है। प्रदेश में मृदा का स्वास्थ्य बनाये रखते हुए अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिये किसानों को संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाये जाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

स्वाइल हेल्थ-कार्ड योजना के पहले चरण में वर्ष 2015-16 और 2016-17 में कृषि संगणना-2011 के मान से राज्य की 88 लाख 72 हजार कृषि जोतों से 23 लाख 14 हजार ग्रिड मृदा नमूने एकत्र किये गये। तत्पश्चात मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषण के बाद 90 लाख से अधिक स्वाइल हेल्थ-कार्ड किसानों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाये गये हैं।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की 50 और कृषि विज्ञान केन्द्र की 28 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा के पोषक तत्वों का परीक्षण किया गया। किसानों को विकासखण्ड-स्तर पर मिट्टी नमूना परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 265 और नई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। जिला-स्तर पर राजपत्रित-स्तर के अधिकारी को स्वाइल हेल्थ-कार्ड का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

संतरा और अमरूद की जैविक पद्धति से खेती करते हैं विष्णु तिवारी

भोपाल। सतना जिले की बिरसिंहपुर तहसील के पगारकला निवासी 45 वर्षीय किसान विष्णु तिवारी के खेतों में सुन्दर और स्वादिष्ट संतरे की खेती लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनाइ गई है। स्थानीय बाजार में इनके संतरों की बड़ी माँग भी है। विष्णु तिवारी अपने खेतों मे गेंहूँ और चना की परम्परागत फसल के साथ संतरे का उत्पादन भी कर रहे हैं।

किसान विष्णु तिवारी का बाग मीठे संतरे के फलों से गुलजार है। एक एकड़ मे लगाये गये संतरे के पौधों से हर वर्ष 4-5 लाख रुपये की आमदनी आसानी से हो रही है। स्थानीय बाजार में इनका संतरा 30-40 रुपये प्रति किलो के मान से हमेशा ही बिकता है। संतरे की खेती से उत्साहित होकर विष्णु और अधिक क्षेत्र में संतरे की नई कलमें लगा रहे हैं। संतरे की खेती को अपनी आय का

मुख्य साधन बनाना चाहते हैं विष्णु। इनके संतरे के बाग और आमदनी देखकर गाँव के दो अन्य किसानों ने भी संतरे के बाग लगाये हैं।

विष्णु तिवारी का कहना है कि वे जीरो बजट की खेती अर्थात जैविक खेती कर रहे हैं। रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं महंगे संसाधनों का प्रयोग नही करते हैं। मौसमी खेती के साथ ही संतरे और अमरूद की बागवानी कर अपनी आय में कई गुना इजाफा कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र के कृषि वैज्ञानिको की राय में चित्रकूट क्षेत्र की जलवायु भी बागवानी के लिये सर्वथा अनुकूल है। पगारकला गाँव में संतरे की लाभकारी खेती देखकर आसपास के गाँवों के किसान भी इसे अपना रहे हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

लाडो अभियान

बाल विवाह न रचें, अपराध से बचें

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

बाल विवाह अपराध है
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र में लड़के का विवाह करना कानूनन अपराध है।

बाल विवाह में शामिल सभी व्यक्ति एवं सेवाप्रदाता अपराधी है।
ऐसे विवाह में शामिल होने वाले सभी नाते-रिश्तेदार, मित्र एवं सेवाप्रदाता जैसे धर्मगुरू, मैरिज गार्डन, टेंट हाउस, बैंड-बाजा, सैलून, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि से सम्बन्धित सभी व्यक्ति/ संस्था भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं।

दण्ड-कठोर कारावास/ जुर्माना / या दोनों
बाल विवाह करने और करवाने वाले दोषियों को दो वर्ष तक का कठोर कारावास या एक लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006

बाल विवाह कानूनी अपराध है

आप बाल विवाह होता पायें तो इसकी सूचना जिला कलेक्टर, स्थानीय पुलिस या महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को तत्काल दें।

सूचनादाता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

संचालनालय महिला सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

D-82783/18

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि. 'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।